

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 सितम्बर, 2016

संख्या: एल0एल0आर0-डी(6)-13/2016-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-09-2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 13) को वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक 14 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
(डा० बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

2016 का अधिनियम संख्यांक 14

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 22 सितम्बर, 2016 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 20) का संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 है।

2. धारा 2 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ठक) "निदेशक, कृषि विपणन" से, कृषि विभाग का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या विधियों के प्रयोजनों के लिए पदाभिहित करे ;";

3. धारा 25 और 26 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 25 और 26 में "बोर्ड के/का प्रबन्ध निदेशक" शब्द जहाँ-जहाँ आते हैं, के स्थान पर "निदेशक, कृषि विपणन" शब्द और चिन्ह रखा जाएगा।

4. धारा 40 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 40 में,—

(क) उपधारा (1) में "संविदा खेती प्रायोजक," शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा और इस प्रकार संशोधित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति मण्डी क्षेत्र में, व्यापारी, कमीशन अभिकर्ता, तोलने वाले, हमाल, सर्वेक्षक, भाण्डागारपाल, संविदा खेती प्रायोजक, प्रसंस्करण कारखाने के स्वामी या अधिभोगी या किसी अन्य मण्डी कृत्यकारी के रूप में, समिति से अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित प्राइवेट मण्डी प्रांगणों, प्राइवेट मण्डियों, कृषक उपभोक्ता मण्डियों में प्रचालन की वांछा रखता है तो वह सम्बद्ध जिला के कृषि विभाग के उप निदेशक को या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, जो ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, यथास्थिति, प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए सक्षम होगा, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए, आवेदन करेगा।"; और

(ख) उपधारा (1) के अन्तिम परन्तुक में "बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक" शब्दों के स्थान पर "निदेशक, कृषि विपणन" शब्द और चिन्ह रखा जाएगा।

5. धारा 68 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(ग) जहां ऐसा आदेश उप निदेशक द्वारा पारित किया गया है, वहां आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, निदेशक, कृषि विपणन को; और

(घ) जहां ऐसा आदेश बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा या बोर्ड द्वारा या निदेशक, कृषि विपणन द्वारा पारित किया गया है, वहां ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को।"

6. धारा 74 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 74 में, "समिति के सचिव द्वारा या इस निमित्त बोर्ड या समिति" शब्दों के स्थान पर "निदेशक, कृषि विपणन द्वारा या इस निमित्त उन में से किसी भी" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 14 of 2016

**THE HIMACHAL PRADESH AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL
PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION)
AMENDMENT ACT, 2016**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 22ND SEPTEMBER, 2016)

AN

ACT

to amend the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (Act No. 20 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Amendment Act, 2016.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 (hereinafter referred to as the “principal Act”), after clause (1), the following new clause shall be inserted, namely :—

“(1a) “Director of Agricultural Marketing” means such officer of the Agriculture Department as the State Government may, by notification, designate for the purposes of this Act and the rules or bye-laws made thereunder;”.

3. Amendment of sections 25 and 26.—In sections 25 and 26 of the principal Act, for the words “Managing Director of the Board” wherever these occur, the words “Director of Agricultural Marketing” shall be substituted.

4. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), the words and sign “contract farming sponsor,” shall be omitted, and after sub-section (1) as so amended, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that if such person desires to operate in the private market yards, private markets, farmers consumer markets managed by a person other than a Committee in the market area as trader, commission agent, weighman, hamal, surveyor, ware houseman, contract farming sponsor, owner or occupier of the processing factory or any other market functionary, shall apply to the Deputy Director, Agriculture Department, of the district concerned or any other officer authorized by the State Government, by notification, in this behalf, for registration or renewal of registration in such manner and within such period as may be prescribed, who shall be competent to grant or renew, as the case may be, such registration certificate.”; and

(b) in sub-section (1), in last proviso, for the words “Managing Director of the Board”, the words “Director of Agricultural Marketing” shall be substituted.

5. Amendment of section 68.—In section 68 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely :—

- “(c) the Director of Agricultural Marketing, where such order is passed by the Deputy Director, within thirty days from the date of order; and
- (d) the State Government, where such order is passed by the Managing Director of the Board or by the Board or by the Director of Agricultural Marketing, within thirty days from the date of such order.”.

6. Amendment of section 74.—In section 74 of the principal Act, for the words and sign “Secretary of the Committee or, by any other person duly authorized by the Board or the Committee”, the words “Director of Agricultural Marketing or by any other person duly authorized by any of them” shall be substituted.